ओडीओपी में कई और जिलों के खाद्य उत्पाद शामिल

गोंडा, बहराइच, लखीमपुर और श्रावस्ती का केला अब मचाएगा धूम ■ प्रतापगढ़ के साथ फतेहपुर और रायबरेली के आंवले के उत्पाद भी शामिल ■ मुजफ्फरनगर से होगा अयोध्या, बागपत, बिजनौर, शामली व मेरठ के गुड़ का मुकाबला

अनिल श्रीवास्तव

लखनऊ। इटावा के सरसों के तेल में मैनपुरी के लहसुन, वाराणसी या देवरिया की हरी मिर्च और हाथरस की हींग का तड़का अब आपके भोजन की लज्जत को बढ़ाएगा। इसे और लजीज बनाना चाहते हैं तो औरैया या कासगंज के घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीजन और ऑफ सीजन में भी जालौन की मटर और हरदोई की मूंगफली और उनसे बने चटपटे उत्पादों का भी आनंद ले सकते हैं। हापुड़ का पेठा, अयोध्या, बागपत, बिजनौर, शामली व मेरठ का गुड़, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर व श्रावस्ती के केले से बने उत्पाद, फतेहपुर व रायबरेली के आंवले से बने उत्पाद तथा कौशांबी व बदायूं के अमरूद भी

■ **दूध से बने उत्पाद:** अलीगढ़, बरेली, बुलंदशहर, कानपुर देहात, जौनपुर और मथुरा, औरैया एवं कासगंज विशेष रूप से घी के लिए चुने गए हैं। ■ **हरी मिर्च :** वाराणसी व देवरिया। ■ **आम :** अमरोहा, लखनऊ, सीतापुर व उन्नाव। ■ **मेंथा :** बाराबंकी, रामपुर, संभल व सुल्तानपुर। ■ **काला नमक चावल :** बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज व संतकबीरनगर। ■ **टमाटर :** चंदौली, मिर्जापुर व सोनभद्र। ■ **बेकरी :** गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद व कानपुर नगर। ■ **शहद :** मुरादाबाद व सहारनपुर। ■ **हींग :** हाथरस। ■ **मछली :** हमीरपुर। **तुलसी :** आजमगढ़। ■ **मसूर :** बलिया। ■ **सरसों :** इटावा। ■ **मक्का :** बलरामपुर।

एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) की फेहरिस्त में शामिल कर लिए गए हैं।

जी हां! किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार ने खेती-बाड़ी से जुड़े करीब दो दर्जन उत्पादों को ओडीओपी के रूप में चुना है। सरकार इन उत्पादों के प्रसंस्करण के जरिये इनसे जुड़े किसानों की न सिर्फ आय बढ़ाएगी, बल्कि इनमें निवेश को भी आकर्षित करेगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके भी उपलब्ध होंगे। यह योजना 2020-21 से 2024-25 तक के लिए तैयार की गई है। सरकार का अनुमान है कि योजना से करीब 6000 करोड़ रुपये का निवेश आएगा और 2 लाख से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।

राज्य सरकार से सलाह-मशविरे के बाद केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खेती-बाड़ी के करीब दो दर्जन ऐसे उत्पादों को चिह्नित किया है, जिनके प्रसंस्करण और प्रसंस्कृत उत्पादों की बाजार में मांग है। संबंधित जिलों में इन उत्पादों के प्रसंस्करण से जुड़ी इकाइयों को प्रशिक्षण, क्षमता विस्तार, गुणवत्ता सुधार, ब्रांडिंग, परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए वित्तीय व तकनीकी सहायता तथा बाजार उपलब्ध कराने में सरकार मदद करेगी।

एक इकाई को परियोजना की लागत का करीब 35 फीसद या अधिकतम 10 लाख रुपये की कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। इसमें इकाई लगाने वाले की हिस्सेदारी सिर्फ 10 फीसदी होगी। परियोजना की लागत में भूमि की कीमत नहीं जोड़ी जाएगी। योजना के तहत पात्र होने के लिए 18 साल से अधिक की उम्र होनी चाहिए। एक परिवार का एक ही व्यक्ति इससे लाभान्वित हो सकेगा। इकाई उसके नाम से होनी चाहिए। पंजीकरण की सारी प्रक्रिया एमआईएस के पोर्टल पर होगी।